

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 17/03/2020

फा.क्र. 1762-ख-1/21-ब(दो), राज्य शासन, एतद्वारा महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय इन्दौर तथा अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय ग्वालियर में निम्नलिखित अधिवक्ताओं को :-

महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में

क्र.	अधिवक्ता का नाम
1.	श्री शरद पुंज, शासकीय अधिवक्ता
2.	श्री प्रभात सिंह सेंगर, शासकीय अधिवक्ता
3.	श्री विरेन्द्र कुमार उपाध्याय, शासकीय अधिवक्ता

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर में

क्र.	अधिवक्ता का नाम
1.	श्री वरुण अमर, शासकीय अधिवक्ता

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर में

क्र.	अधिवक्ता का नाम
1.	श्री रामसिंह अहिरवार, शासकीय अधिवक्ता
2.	श्री कुनाल सूर्यवंशी, शासकीय अधिवक्ता
3.	श्री दिलीप सिंह तोमर, शासकीय अधिवक्ता
4.	श्री संजय सिंह सेंगर, शासकीय अधिवक्ता

एक वर्ष के लिये अथवा आगामी आदेश तक के लिये, जो भी पहले हो, उपरोक्तानुसार शासकीय अधिवक्ता/उप शासकीय अधिवक्ताओं के पद पर नियुक्त करता है।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों का वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)


प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ० क्रमांक 1762-ख-1/21-ब(दो)
प्रतिलिपि,

भोपाल, दिनांक 17/03/2020

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर,
2. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल,
4. अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश इंदौर/ग्वालियर एवं नई दिल्ली,
5. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम/टी.एम., मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर दो प्रतियों में,
6. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर अगले राजपत्र में प्रकाशनार्थ,
7. निज सचिव, माननीय विधि मंत्रीजी, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
8. संबंधित विधि पदाधिकारीगण, द्वारा महाधिवक्ता म.प्र. जबलपुर,
9. आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(संतोष प्रसाद शुक्ल)

अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग